GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] No. 144] दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3व्र, 2₆15/कार्तिक 8, 1937 DELHI, FRIDAY, OCTOBER 34, 2415/KARTIKA 8, 1937 [रा.रा.रा,क्षे.दि. सं. 132 (N.C.T.D. No. 132

भाग-17

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अक्तूबर, 245

सं. फा. 1.(13)/पर्या./2.15/6345—6372.—परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगमों, यातायात पुलिस एवं अन्य के साथ पर्यावरण नियंत्रण (रोकधाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा 21—1.—2.15 को एक बैठक ली गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो वाहन कच्ची सब्जियों, दूध, फलों, अनाज ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से प्रभार मुक्त हो।

जैसा कि, जारी अधिसूचना संख्या एफ.1.(13)/पर्या./2.15/6167—6189 दिनाँक 2.—1.—2.15 के प्रथम अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में रिट याचिका (सिविल) संख्या 13.29/1985 में वादकालीन आवेदन संख्या 2.15 का 345 एवं 2.15 का 365 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक .9.1..2.15 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा, '(ख). अनिवार्य वस्तुएं अर्थात् खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों पर' का मतलब होगा "(ख). कच्ची सब्जियों, दूध. फलों, अनाज ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों पर''।

डॉ. अनिल कुमार, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT NOTIFICATION

Delhi, the 36th October, 2015

No. F1-(13)/Env/2-15/6345-6372.—In the meeting taken by Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) with Transport Deptt., GNCTD, Municipal Corporations, Traffic Police & Others on 21.1-.2-15, it has been decided to exempt the vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk and tankers carrying petroleum products from levy of the Environment Compensation Charge.

As such, the last sentence of first para of the Notification No. F.1-(13)/Env/2-15/6167-6189 Dated 2-.1-.2-15 issued in compliance to the order dated 9.1-.2-15 of Hon'ble Supreme Court in Interlocutory Application No. 345 of 2-15 & No. 365 of 2-15 in Writ Petition (Civil) No. 13-29/1985 "(b) On vehicles carrying essential commodities, that is, food stuffs and oil tankers" will be taken to mean "(b) the vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk and tankers carrying petroleum products".

Dr. ANIL KUMAR, Spl. Secy. (Environment)